अनुदान संख्या 9 - कोयला मंत्रालय
GRANT No. 9 - MINISTRY OF COAL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	534,88,00	644,11,00	573,68,43	-70,42,57
पूरक	Supplementary	109,23,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				70,31,17

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹7042.57 लाख) जुलाई, 2021 तथा मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹10923.00 लाख के पूरक अनुदान का 64 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹7042.57 lakhs) constituted 64 percent of the supplementary grants of ₹10923.00 lakhs obtained in July, 2021 and March, 2022 and 11 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Secretariat-Economic Services				
मू.	O.	3574.00	2948.17	2946.81	-1.36
पु.	R.	-625.83			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2230'' श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास	Major Head "2230" Labour, Employment and Skill Development				
मू.	O.	5320.00	2961.00	2961.00	..
पु.	R.	-2359.00			
मुख्य शीर्ष ''2803'' कोयला तथा लिग्नाइट	Major Head "2803" Coal and Lignite				
मू.	O.	40394.00			
पू.	S.	10922.00	51470.66	51460.62	-10.04
पु.	R.	154.66			
मुख्य शीर्ष ''2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	4200.00			
पू.	S.	1.00	..	..	..
पु.	R.	-4201.00			

(I) ₹4513.00 लाख का प्रावधान (मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹3956.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "कोयला तथा लिग्नाइट – अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) 'क्षेत्रीय अन्वेषण'' – ₹1300.00 लाख; और

(खा) ''कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹655.00 लाख।

(I) Provision of ₹4513.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in March, 2022) remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹3956.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Coal and Lignite – Other Expenditure" – under the following heads:-

(A) "Regional Exploration" – ₹1300.00 lakhs; and

(B) "Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" – ₹655.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीम पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(गा) "विस्तृत वेधन – ₹2001.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(C) "Detailed Drilling" – ₹2001.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) - due to non-receipt of proposals.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – कोयला मंत्रालय'' के अंतर्गत – ₹627.19 लाख की बचत (₹3574.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कम यात्रा भत्ते दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" –"Secretariat-Ministry of Coal"- saving of ₹627.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3574.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and receipt of less travelling allowance claims.

(III) मुख्य शीर्ष "2230" – "श्रम – श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा – कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998'' के अंतर्गत – ₹2359.00 लाख की बचत (₹5320.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2230" –"Labour - Social Security for Labour - Coal Mines Pension Scheme, 1998"- saving of ₹2359.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5320.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(IV) "मुख्य शीर्ष "2803" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(IV) Under Major Head "2803"- savings occurred under the following heads:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – सांविधिक निकाय, सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय'' – ₹818.07 लाख की बचत (₹75.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹2671.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कोविड–19 महामारी के कारण रोड शो को मूर्त रूप न दिए जाने, कम कोयला खानों की नीलामी होने, कम अनुरक्षण कार्य होने और कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा किराया बिलों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration – Statutory Bodies, attached and Sub-ordinate office" – saving of ₹818.07 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2671.00 lakhs including supplementary grant of ₹75.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialization of road shows owing to COVID-19 pandemic, auction of less coal mines, less maintenance work and non-submission of rent bills by Coal India Limited.

(खा) ''कोयला तथा लिग्नाइट कंपनियों को सहायता – कोयला खानों में संरक्षण सुरक्षा और अवसंरचना विकास'' – ₹5190.54 लाख की बचत (₹5263.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोयला कंपनियों से दावे प्राप्त न होने और कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Assistance to Coal and Lignite Companies – Conservation Safety and Infrastructure Development in Coal Mines" - saving of ₹5190.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5263.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from coal companies and receipt of less proposals.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹481.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7523.23 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि जुलाई, 2021 और मार्च, 2022 में मुख्य शीर्ष ''2803'' के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹10922.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना" –

(क) "विस्तृत वेधन" – ₹1245.00 लाख।

(ख) "कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹2200.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2199.75 लाख रु. था।

(ग) "कोयला खानों में संरक्षा और सुरक्षा" – ₹271.71 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹271.46 लाख था।

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना –

(क) "विस्तृत वेधन" – ₹1290.00 लाख।

(ख) "कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास" – ₹2516.52 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹2516.02 लाख था।

(V) Under one head saving of ₹481.00 lakhs occurred constituting 37 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly (₹7523.23 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹10922.00 lakhs in July, 2021 and March, 2022 under Major Head "2803" – under the following heads:-

(A) "Special Component Plan for Scheduled Castes"–

(a) "Detailed Drilling" – ₹1245.00 lakhs.

(b) "Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" – ₹2200.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2199.75 lakhs.

(c) "Conservation and Safety in Coal Mines"- ₹271.71 lakhs. Actual excess, however, was ₹271.46 lakhs.

(B) "Tribal Area Sub-Plan" –

(a) "Detailed Drilling" – ₹1290.00 lakhs.

(b) "Development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas"– ₹2516.52 lakhs. Actual excess, however, was ₹2516.02 lakhs.